न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2022 (राजसमन्द डिक्री)

1. गणेशलाल पिता भगवानलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा मृतक के बजायः–

1/1. हीरालाल पिता गणेशलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. मोतीलाल पिता गणेशलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. गीता विधवा गणेशलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. अर्जुनलाल पिता भगवानलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रमेशचन्द्र पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. जीवनलाल पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. माधुलाल पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. जगदीशचन्द्र पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. रोशनलाल पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. भैरूलाल पिता मिठुलाल, जाति हरिजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा दिनांक
18–04–2022 प्रकरण [illegible]/2010

––––::––––

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री [illegible] अभिभाषक अपीलान्टगण
[illegible] संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

---::---

निर्णय **दिनांक 20–02–2024**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं मृतक मिठुलाल के पिता भगवान पिता कामड हरिजन को ग्राम सिन्देसरखुर्द में आराजी नंबर 79/1 रकबा 8 बीघा भूमि सन् 1958 में आवंटित हुई थी, जिसका इन्द्राज संवत् 2024 से 2026 में है। भगवान जी की मृत्यु दिनांक 31–05–1976 को हो चुकी है, इसके पश्चात् वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी में अंकित होनी चाहिए थी, किन्तु राजस्व विभाग की गलती से गैरखातेदारी में अंकित हो गयी है। उक्त आराजी नंबर 79/1 रकबा 8 बीघा का नवीन नंबर 109 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, एवं आराजी नंबर 110 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा बनाया गया, जिसमें अन्य नंबर और जोड़े गये। खसरा नंबर 79 के नवीन नंबर 1119/110 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा बनया गया। इस प्रकार खसरा नंबर 1119/110 खसरा नंबर 109 का क्षेत्रफल जोड़ने पर 8 बीघा 2 बिस्वा बनता है, जबकि खसरा नंबर 79 का नवीन रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा बनना चाहिए था। कुल क्षेत्रफल 10 बीघा 8 बिस्वा में से 8 बीघा 2 बिस्वा घटाने पर शेष रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा नवीन नंबर 110 में सम्मिलित कर दिया गया। सेटलमेन्ट को गत पैमाईश को ही दोहराना चाहिए था, रकवा कम या बिलानाम दर्ज करने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं है तथा इस प्रकार के अंकन वादीगण के मुकाबले शून्य या बेअसर है। अतः आराजी नंबर 109 एवं 1119/110 में से 10 बीघा 8 बिस्वा का वादीगण को 2/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि अन्य प्रतिवादीगण द्वारा भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर विशेष कथन में निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 109 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा पर कब्जा मीठुलाल के समय से प्रतिवादीगण का चला आ रहा है तथा लाखों रूपये खर्च कर प्रतिवादीगण ने उसे काबिल काश्त बनाया है। प्रतिवादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय [illegible] प्रकरण में 8 तनकियां कायम की तथा तथा तनकीवार विवेचन करते हुए [illegible] निर्णय दिनांक 18–04–2022 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि सेटलमेन्ट को पैमाईश के दौरान पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना होता है, इन्द्राज परिवर्तन का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्टगण के पिता भगवानलाल की मृत्यु पर मीठुलाल ने विरासत का नामान्तरकरण मिलीभगत से अपने अकेले के नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि मौके पर भगवानलाल के तीनों पुत्रों का 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के अनुसार तनकियों का विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 अनुसार तनकियों का पृथक–पृथक विवेचन नहीं कर निबंधात्मक रूप से तनकी नंबर 1 से 3 अपीलान्ट/वादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सभी तनकियों पृथक–पृथक विवेचन कर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादीगण ने आराजी नंबर 79/1 रकबा 8 बीघा अपने पिता भगवानलाल को वर्ष 1958 में आवंटित होने का कथन किया है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा किसी प्रकार का आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त भूमि भगवानलाल को आवंटन से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अपीलान्ट/वादीगण ने सेटलमेन्ट के दौरान उसके खाते में रकबा कम दर्ज होने का कथन किया है, किन्तु मूल आराजी नंबर 79 का कुल रकबा कितना था तथा सेटलमेन्ट के दौरान इसके कौन–कौन से नंबर बने तथा किसी आराजी में कितना रकबा गया, इस बाबत् भी उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी का वाद स्वयं के बल पर ही चलता है जिसे वादीगण साबित करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

असफल रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक तनकी पर पृथक–पृथक विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद साबित नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–04–2022 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

गणेशलाल मृतक के बजाय हीरालाल जी, पिता गणेशलाल, जाति हरिजन, निवासी व तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य — बनाम — राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....13/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी .....
.....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....04.....2022.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20.....माह.....02.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री दुर्गासिंह शक्तावत.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री पैरोकार सरकार

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–04–2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये ..... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20.....माह.....02.....2024 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:21 IST
Reason: SelfAttested